

बौद्ध शिक्षा और ब्रह्मण शिक्षा का सामाजिक दर्शन एवं प्रभाव : भारतीय संदर्भ में एक अध्ययन

डॉ० प्रियंका

दर्शनशास्त्र विभाग,

बी० आर० ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

सारांश

सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन में बौद्ध शिक्षा की अनेक सन्दर्भों में बड़ी उपादेयता थी। जिस वैदिक समाज ने उत्पादन में लौहकनीक के प्रयोग तथा प्रसार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसी समाज की अनेक प्राचीन मान्यताएँ आर्थिक प्रगति के लिए अनुकूल नहीं थी। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्ग को व्यापार में संलग्न होने की मनाही थी। वैश्य वर्ग सम्मान की दृष्टि से समाज में तीसरी श्रेणी में आता था। अहिंसा मूलक बौद्ध धर्म की शिक्षाएँ सिद्धांत रूप में साम्राज्यवादी युद्धों के विपरीत पड़ती थी। युद्ध की स्थिति में व्यापारियों की संपत्ति की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती थी। इस काल में समाज के धनाढ्य वर्ग को ऐसे नियम तथा सिद्धांतों की आवश्यकता थी जो व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा तथा संपत्ति का अधिकार को किसी-न-किसी रूप में मान्यता प्रदान करें। बौद्ध दर्शन की शिक्षाएँ सर्वकालिक एवं सर्वदेशिक हैं। तृष्णा चाहे आज के मानव की हो अथवा आज से पहले के, वह सदैव विनाशकारी तथा सकल दुःखों की जननी है। पदार्थों की लिप्सा कभी शांत नहीं हो सकती है। आज भी उपभोक्ता मूलक संस्कृति का त्रासदी का कारण भी यही तृष्णा है। बोधि अथवा ज्ञान के द्वारा व्यक्ति समाज में चहुमुखी विकास कर सकता है। बुद्ध की शिक्षाएँ समस्त मानव मात्रा के लिए थी, किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं। इनमें स्त्री-पुरुष, धर्म आदि का कोई भेद स्वीकार्य न था।

शब्द कुंजी : अहिंसा, शिक्षा, तृष्णा, संस्कृति, वर्ग

भूमिका

प्राचीन काल की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन में बौद्ध शिक्षा की अनेक सन्दर्भों में बड़ी उपादेयता थी। जिस वैदिक समाज ने उत्पादन में लौहकनीक के प्रयोग तथा प्रसार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसी समाज की अनेक प्राचीन मान्यताएँ आर्थिक प्रगति के लिए अनुकूल नहीं थी। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्ग को व्यापार में संलग्न होने की मनाही थी। वैश्य वर्ग सम्मान की दृष्टि से समाज में तीसरी श्रेणी में आता था। अहिंसा मूलक बौद्ध धर्म की शिक्षाएँ सिद्धांत रूप में साम्राज्यवादी युद्धों के विपरीत पड़ती थी। युद्ध की स्थिति में व्यापारियों की संपत्ति की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती थी। इस काल में समाज के धनाढ्य वर्ग को ऐसे नियम तथा सिद्धांतों की आवश्यकता थी जो व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा तथा संपत्ति का अधिकार को किसी-न-किसी रूप में मान्यता प्रदान करें। बौद्ध धर्म की संपत्ति संग्रह न करने की शिक्षा केवल भिक्षुओं के लिए ही सार्थक हो सकती है जबकि अस्तेय संपत्ति के अधिकार को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देता है। बौद्ध संघ में ऋणी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित करना भी इसमें सहायक सिद्ध होता है। हाँलांकि संघ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए बने नियम नवीन सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनों के विरुद्ध प्राचीन जनजातीय मूल्यों-सामाजिक समानता, व्यक्तिगत संपत्ति का

अभाव आदि पर अधिक बल देते हैं। किंतु हम स्पष्ट रूप से देख चुके हैं कि बौद्ध धर्म की अनेक शिक्षाएँ नए सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के अनुकूल थी। मान्य इतिहासविद् रामशरण शर्मा के अनुसार बौद्ध धर्म के सिद्धांत नई आर्थिक व्यवस्था तथा उपज के अधिशेष पर विकसित थे। बौद्ध धर्म का मूलाधार चार आर्य सत्य है। इस धर्म के सारे सिद्धांत तथा बाद में विकसित विभिन्न दार्शनिकमत-वादों के ये ही आधार हैं। ये चार आर्यसत्य हैं :- दुःख, दुःख समुदाय, दुःख-निरोध तथा दुःख निरोध-गामिनी-प्रतिपदा अर्थात् अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। सृष्टि का कारण ईश्वर को नहीं माना गया है। तर्क यह है कि यदि ईश्वर को संसार का रचयिता माना जाए तो उसे दुःख को उत्पन्न करने वाला भी मानना होगा। वास्तव में बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा को ही बल दिया। बुद्धका हृदय मानव प्रेम से पूर्णतः भरा हुआ था। मनुष्यों के नाना प्रकार के दुःखों को देखकर

उनका हृदय टूक-टूक हो जाता था। वे दूसरों के दुःखों में स्वयं दुःखी रहते थे। यही कारण है कि उन्होंने मानव दुःखा का नाश करना अपने जीवन का चरम लक्ष्य बनाया। मनुष्यों के दुःखों को दूर करने की औषधि पाने के लिए ही वे अनेक वर्षों तक जंगल में भटकते रहे और अंत में उसे प्राप्त कर ही विश्राम लिया। उन्होंने चार आर्य-सत्यों तथा अष्टांगिक मार्गों का अनुसंधान कर मनुष्यों के कलेश निवारण का उपाय बतलाया। उन्होंने घर छोड़ा, घरिनी छोड़ी, राज्य छोड़ा और सुख छोड़कर मानव दुःखों को दूर करने का परमौषध प्राप्त किया।

बुद्ध का सारा जीवन परोपकार का प्रतीक है, पर-सेवा का उदाहरण है तथा लोक-मंगल का ज्वलंत प्रमाण है। बौद्ध धर्म के उदय से भारत में एक नवीन दार्शनिक चिन्तन का विकास हुआ। बौद्ध धर्म के उदय के समय अनेक परस्पर विरोध वादों का जंजाल व्याप्त था। पर इन वादों में वैदिक चिंतन के समक्ष खड़े होने की सामर्थ्य न थी। गौतम बुद्ध ने अपने अनन्तावाद या अनात्मवाद से परम्परागत वैदिक चिंतन या उपनिर्णायक आत्मवाद को झकझोर कर रख दिया। इस प्रकार भारतीय दर्शन को चिंतन की दो परस्पर विरोधी धाराएं प्राप्त हुईं-एक उपनिषदों का आत्मवाद तो दूसरा गौतम बुद्ध का अनात्मकता।

बुद्ध काल में अनेक दार्शनिक वादों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्राह्मण धर्म लोक धर्म बन चुका था और बौद्ध धर्म के प्रचार होने पर भी इसकी लोकप्रियता में कोई अंतर नहीं आया। बुद्ध का ध्येय बौद्ध दर्शन को लोकप्रिय बनाना था। अतः उन्होंने लोकमत को समुचित आदर प्रदान करते हुए अपने विचारों का प्रचार किया। लोक साहित्य पर भी गौतम बुद्ध के गंभीर व्यक्तित्व का व्यापक प्रभाव पड़ा। वैदिक ऋचाओं का विषय देवस्तुति मात्रा था एवं परवर्ती या उत्तर वैदिक साहित्य यज्ञ एवं कर्मकाण्ड से भरा पड़ा था। पर गौतम बुद्ध ने गाथाओं, जातक कथाओं और पिटकों के माध्यम से विषयों को अपनी वार्ता का विषय बनाया। शिक्षा के सिद्धांतों और प्रयोगों के संबंध में बौद्धों और हिंदुओं के दृष्टिकोण में कोई मौलिक अंतर नहीं था। बौद्ध धर्म का मूल मत था कि संसार दुःख से परिपूर्ण है। संसार का परित्याग करने से ही मोक्ष मिलेगा। अतः प्रारंभ में बौद्धों ने भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शिक्षा पर ही ध्यान दिया तो उचित ही था। किन्तु कालान्तर में जब इन्होंने जन साधारण को शिक्षा देना स्वीकार कर लिया तो इनकी शिक्षा प्रणाली में हिंदूओं की शिक्षा प्रणाली में कोई अंतर नहीं था। दोनों पद्धतियों के आदर्श और ढंग समान थे। बुद्ध का यह अत्यन्त विवेक पूर्ण आदेश था कि प्रत्येक उपासक को विनय और धर्म की सम्यक् शिक्षा देनी चाहिए। बुद्ध के इस वचन के कारण ही बौद्ध विहारों ने शिक्षा कार्य अपने हाथ में लिया और उसका विकास किया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए दो संस्कार आवश्यक थे। प्रथम था प्रब्रज्जा तथा दूसरा उपसम्पदा। प्रब्रज्जा से उपासकत्व का प्रारंभ होता था। प्रब्रज्जा 8 साल से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती थी। संरक्षक की अनुज्ञा आवश्यक थी। उपासक काल

के अंत में उपसम्पदा दी जाती थी। उपसम्पदा के समय उपासक की उम्र 20 वर्ष से कम न रहनी चाहिए। ऋणी, अशक्त या राज पुरुष को दीक्षा नहीं दी जा सकती थी। संपूर्ण संघ की स्वीकृति से ही दीक्षा दी जा सकती थी बौद्ध धर्म दीक्षित होने के लिए जात-पातका कोई भेद न था। उपासक को बौद्ध धर्म और संघ में विश्वास प्रकट करना पड़ता था तथा किसी विद्वान भिक्षुक को आचार्य चुनना पड़ता था। भिक्षु को कड़ाई से संघ के नियमों का पालन करना पड़ता था। यदि वह कोई अक्षम्य गंभीर अपराध करता तो पूरे संघ की सभा उसे संघ से निष्कासित कर देती थी। हिन्दू ब्रह्मचारी की भांति उसे भी भोजन की भिक्षा मांगनी पड़ती थी। श्रावकों के निमंत्रण पर उसके घर पर ही वह भोजन कर सकता था। विहार के सभी छोटे-बड़े कार्य यथाफल और बर्तनों की सफाई, पानी भरना तथा भंडारों का निरीक्षण, उसे करने पड़ते थे। उपासक और आचार्य में पुत्र और पिता जैसा संबंध था। परस्पर आदर-विश्वास और प्रेम की भावना से वे एक हो जाते थे। हिन्दू ब्रह्मचारी की भांति बौद्ध उपासक को भी आचार्य के सहायतार्थ शारीरिक परिश्रम करना पड़ता था। वह आचार्य का आसन और चीवर का परिवहन करता, उन्हें जल दातौन देता, उनके भिक्षा-पात्र तथा बर्तानों की सफाई करता तथा भिक्षा ग्रहण या उपदेश के लिए आचार्य के नगर या ग्राम गमन के समय उनके सेवक के रूप में साथ-साथ जाता था। आचार्य उपासक को विनय के नियम बतलाता, उसका ध्यान ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह तथा इंद्रिय संयम के व्रत की ओर आकर्षित करता तथा सन्ध्या कालों में अपने उपयोगी व्याख्यानों से उसकी बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति में सहायता करता था।

भारत में संघ टितशिक्षण संस्थाओं के उदय का श्रेय बौद्ध धर्म को ही मिलना चाहिए। यह स्वाभाविक ही था। संघों के रूप इसीलिए जब ये विहार शिक्षण संस्थाओं रूप में बदल गये तो इनका स्वरूप भी सामाजिक शिक्षण संस्थाओं का हो गया। बौद्ध विहार पाठशालाओं की प्रेरणा से ही हिन्दू मन्दिरों में भी पाठशालाएं खुलने लगीं। जिस काल में बौद्ध धर्म उन्नति के शिखर पर था देश के कोने-कोने में विहार का जाल बिछा हुआ था। लगभग 10 प्रतिशत विहारों में उच्च शिक्षा दी जाती थी। इसमें नालंदा, बलभी और विक्रमशिला जैसे विहार विश्वविद्यालयों की ख्यातिज्ञान के केंद्र के रूप में विश्व भर में थी। मध्य एशिया और पूर्वी एशिया में इन्होंने भारतीय शिक्षा की यश पताका स्थापित की थी। सुदूर जावा के एक राजा ने भी नालंदा में दान किया था। शिक्षा के इन केन्द्रों में अक्षय निधियों के दान में भारतीय राजे-महाराजों तथा सेठों में होड़ लगी हुई थी। बदले व निःशुल्क शिक्षा वितरित करते थे इतना ही नहीं, भिक्षुओं को भी निश्चित रूप से तथा अन्य छात्रों को भी संभवतः यहां संभोजन और वस्त्र भी मिलता था। बौद्ध विहार या तो स्वतंत्र नगर ही थे या नगरों और गांवों के उपान्त बसे हुए थे। अतः उनमें भी शांति विराजती थी। यद्यपि इन विहारों में चलने वाले विद्यालयों का प्रबंध बौद्ध करते थे। किंतु ये संस्थाएं तो साम्प्रदायिक थीं न इनमें केवल धर्मकी ही शिक्षा दी जाती थी। इनमें कोई संदेह नहीं कि इनके पाठ्यक्रम में बौद्ध दर्शन प्रमुख था किन्तु हिन्दुओं और जैनों के विभिन्न सम्प्रदायों के धर्मों और दर्शनों के उदय के साथ-साथ अध्ययन का भी पर्याप्त प्रबंध था।

युवाङ्घ्राङ्, जितने दिनों भारत में रहा उसका दो बटे पांच समय उसने हिंदू धर्म और दर्शन के अध्ययन में लगाया था। इनमें पाठ्यक्रम धर्मशास्त्र, दर्शन और न्याय तक ही सीमित न था संस्कृत साहित्य, ज्योतिष, आयुर्वेद, व्यवहार-शास्त्र, राजनीति और शासन प्रबंध की भी शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाती थी ताकि वे सरकारी सेवा में प्रविष्ट हो सकें या अन्य उपयोगी या बुद्धिवादी पेशे अपना सकें। पुस्तकें उस काल में दुर्लभ और बहुमूल्य थीं। अतः विद्यार्थियों को को महत्वपूर्ण ग्रंथों को कण्ठस्थ कर लेने के लिए उत्साहित किया जाता था। शास्त्रार्थों और वाद-विवादों में यह बड़े काम का सिद्ध होता था। किन्तु बौद्ध शिक्षा पुस्तकें रटने से कोसों आगे थी।

बौद्ध शिक्षा प्रणाली में तर्क और विश्लेषण का महत्वपूर्ण स्थान था। युवाङ्, च्वाङ्, और इत्सिङ्, जैसे तर्कशील विद्यार्थियों ने भारतीय आचार्यों की व्याख्या और स्पष्टीकरण की प्रणाली की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। प्रत्येक छात्र की वैयक्तिक प्रगति पर ध्यान रखा जाता था। नालंदा में एक आचार्य के अंतर्गत दस से अधिक विद्यार्थी नहीं दिये जाते थे। ईसा की पांचवीं शताब्दी के बाद भारत में भिक्षुणी संघ नहीं रह गये। अतः जब बौद्ध विहार अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्यालयों के रूप में विकसित हुये उनमें वितरित होने वाली शिक्षा नारी जगत को कोई लाभ नहीं होता था। उस काल में बालिकाओं का विवाह भी अल्पवय में ही हो जाता था। पूर्वकाल में बौद्ध संघ में नारियों के प्रवेश की अनुमति मिल जाने के कारण नारी शिक्षा को विशेषतया उच्च सामंतों और श्रेष्ठियों के घरों को विशेष प्रोत्साहन मिला था। इन वर्गों की बहुत सी नारियां बौद्ध संघ में सम्मिलित हुई थी। उन्होंने धर्म और दर्शन के अध्ययन में अपना सारा जीवन उत्सर्ग कर दिया था। उनके अनुकरण पर साधारण घरों की नारियों में भी शिक्षा प्रसार में अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। इस बात के कोई प्रमाण नहीं मिलते कि प्रारंभिक काल में बौद्ध धर्म जन साधारण की शिक्षा में रूचि रखता था।

महायान के उदय के साथ-साथ के उदय के साथ-साथ बौद्ध-विहारों ने साधारण जनता को भी शिक्षित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। किन्तु चीनी यात्रियों के लेखों से ज्ञात होता है कि बौद्ध-विहारों में मुख्यतया उच्च शिक्षा की ही व्यवस्था थी। प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रसार में अपनी देन पर बौद्ध धर्म पर गर्वकर सकता है। इसके विद्यालयों ने सभी जातियों और देशों के विद्यार्थियों के लिए अपने द्वार खोल दिये थे। बौद्ध धर्म के ही प्रभाव के कारण देश में संघटित पाठशालाओं का उदय हुआ। उच्च शिक्षा में अपनी कुशलता से इसने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का स्थान ऊंचे उठाया था। इसकी उच्च शिक्षा की पूर्णतः से आकर्षित होकर कोरिया, चीन, तिब्बत और जावा जैसे दूर-दूर के देशों के विद्यार्थी यहां अध्ययन करने आते थे।

आधुनिक काल में पूर्वी एशिया के देश भारत के प्रति जो सांस्कृतिक सहानुभूति रखते हैं उसका एकमात्र श्रेय प्राचीन भारत के बौद्ध विद्यालयों का ही है। यदि आज किसी लुप्त भारतीय ग्रंथ का चीनी भाषा में पता मिलता है या किसी बहुमूल्य संस्कृत पुस्तक का हस्तलिखित तिब्बत या चीन या मध्य एशिया में प्राप्त होता है तो इस का भी संपूर्ण श्रेय इन बौद्ध-विद्यालयों को ही है जहां चीनी विद्यार्थी इन पुस्तकों की प्रतिलिपि करके अपने देश ले जाते थे।

तुलनात्मक अध्ययन की नींव रखकर बौद्ध शिक्षा ने हिन्दू न्याय और दर्शन के विकास में भी योग दिया था। प्रारंभिक काल में बौद्धों ने मातृभाषा द्वारा शिक्षा देने का समर्थन दिया था किन्तु उत्तर काल में यह संस्कृत के आकर्षण और प्रभाव से अपने को अछूता न रख सके। अंततोगत्वा इन्होंने भी उसी भाषा के माध्यम से शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार से वैदिक काल की शिक्षा की अनेक विशेषताएं वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है ठीक उसी प्रकार से बौद्ध काल की शिक्षा की अनेक विशेषताएं भी आधुनिक समय में उपादेय सिद्ध हो सकती है। यद्यपि बौद्ध कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार करना था, तथापि बौद्ध शिक्षा के अन्य उद्देश्य जैसे नैतिक चरित्र का विकास, व्यक्तित्व का विकास तथा जीविका की तैयारी आज भी पूर्णतया प्रासंगिक है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में इन उद्देश्यों को समाहित करके ही शिक्षा प्रणाली को पूर्ण बनाया जा सकता है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के 'दस सिक्खा पदानि' अर्थात् दस शिक्षा पद आज भी पूर्णतया उपयोगी तथा सार्थक है।

इन दस आदेशों का छात्रों के द्वारा यदि पालन किया जाएगा तो वर्तमान समय के साम्प्रदायिक वातावरण, भ्रष्ट आचरण, मादक पदार्थों का प्रचलन, झूठ बोलना, निन्दा आदि का स्वतः ही निवारण हो जाएगा। बौद्ध काल में प्रचलित छात्र-अध्यापक संबंधों को यदि पुनर्जीवित किया जाये तो वर्तमान शिक्षा

संस्थाओं में दिन-प्रतिदिन होने वाली हड़ताल, बंद उपद्रव, अध्यापकों के साथ होने वाली अभद्रता, छात्र दंगे आदि स्वतः ही बंद हो जाएंगे। निःसंदेह बौद्ध शिक्षा की कुछ विशेषताएं आज भी प्रासंगिक हैं। यद्यपि बौद्ध धर्म व गौतम बुद्ध के उपदेश बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली के केंद्र बिन्दु थे परन्तु बौद्ध शिक्षा में निहित शांति, अहिंसा व वसुधैव कुटुम्बकम् के सिद्धांत, प्रजातांत्रिक संगठन की प्रवृत्ति, छात्रों व अध्यापकों का त्यागपूर्ण जीवन आदि अनेक ऐसे तत्व हैं जो आज भी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। वैभव की चमक-दमक, हिंसा से युक्त परिवेश, धन व अधिकार की लालसा तथा घृणा व द्वेषों से परिपूर्ण वर्तमान जीवन में बौद्ध शिक्षा के ये तत्व सार्थक योगदान कर सकते हैं। आज हमारे देश में बौद्ध शिक्षा विलुप्त हो चुकी है फिर भी इसकी विशेषताएं आधुनिक भारतीय प्रणाली में सम्मिलित की जा सकती हैं।

आज के परिवेश में गौतम बुद्ध का शिक्षा दर्शन और भी प्रासंगिक हो गया है। उनके 'आत्म दीपो भव' का सिद्धांत आज के समाज के लिए और उपयोगी हो गया है। अगर व्यक्ति में समाज के प्रति सकारात्मक सोच (जो घटता जा रहा है) उत्पन्न करना है तो उनके सुझाए मार्ग को अविलम्ब अपनाना होगा। किसी भी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तित्व एवं चरित्र का सर्वांगीण विकास है। चूंकि बौद्ध दर्शन की शिक्षाएं कायिक, वाचिक एवं मानसिक विशुद्धि का लक्ष्य रखती हैं, अतः इनका उपयोग आधुनिक शिक्षण में भली-भांति किया जा सकता है। मूल्य परक शिक्षण प्रत्येक शिक्षा व्यवस्था का अंग रहा है। बौद्ध दर्शन के अंतर्गत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, प्रेम, करुणा, विश्व बंधुत्व सदृश अनेक शाश्वत मूल्यों को जीवन में आत्मसात् करने पर बल दिया गया है। इन मूल्यों को आधुनिक शिक्षण से सम्बद्ध करके इसे मूल्य परक बनाया जा सकता है। बौद्ध दर्शन के अंतर्गत सदाचार पर विशेष बल दिया गया है। आज भी शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य शिक्षार्थी को सदाचारी बनाना है, ताकि वह न केवल ज्ञानी बन सके अपितु सामाजिक व राष्ट्रीय जीवन में एक आदर्श भूमिका निभा सके। बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत नारी शिक्षा पर भी विशेष बल दिया गया है। आधुनिक शिक्षा पद्धति में भी नारी शिक्षा के विकास एवं उत्थान पर विशेष बल दिया जा रहा है।

बौद्ध शिक्षण पद्धति में दूर-दूर से आए हुए भिक्षु अनुशासनबद्ध होकर शिक्षा ग्रहण करते थे। आज भी अनुशासन पालन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि अनुशासन के बिना किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने वाले भिक्षु स्वयं भिक्षार्जन करके ज्ञानार्जन करते थे। इस प्रकार बौद्ध शिक्षण विद्यार्थी को स्वावलंबी बनाना था। आज भारतीय शिक्षा के संबंध में स्ववित्तपोषित शिक्षा प्रणाली की बात की जा रही है जिसमें शिक्षार्थी का आत्मनिर्भर या स्वावलंबी बनना आवश्यक है।

ऋग्वेद में उल्लिखित उत्तरी भारत में आर्य-दस्यु संघर्ष के समान दक्षिणी और उत्तरी भारत के सांस्कृतिक संपर्क में संघर्ष के तत्व नहीं मिलते। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि तमिल देश में वैदिक संस्कृति का स्वागत किया गया। भारत के शैक्षिक इतिहास में वैदिक काल के पश्चात् बौद्ध काल में शिक्षा की दृष्टि से बहुत अंतर नहीं दिखाई देते हैं। ए० ए०० अल्तेकर के अनुसार "जहाँ तक सामान्य शैक्षिक सिद्धांत या प्रयोग की बात है, हिन्दुओं और बौद्धों में बहुत अंतर नहीं था। दोनों प्रणालियों के लगभग समान आदर्श थे और वे समान विधियों का अनुसरण करती थी। वस्तुतः वैदिक शिक्षा का अनुसरण करके ही बौद्ध शिक्षा प्रणाली का संगठन किया गया था। दोनों प्रणालियों में शिक्षा संबंधी धार्मिक संस्कारों को महत्व दिया गया था। ब्राह्मण शिक्षा में 'उपनयन' संस्कार के पश्चात् छात्र को ब्रह्मचारी कहा जाता था। उसी प्रकार बौद्ध शिक्षा प्रणाली में 'पबज्जा' संस्कार के पश्चात् छात्र को 'श्रमण' कहा जाता था। ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली में उपनयन संस्कार के पश्चात् छात्र को अपने घर को त्याग कर गुरु-गृह के लिए प्रस्थान करना पड़ता था। इसी प्रकार बौद्ध शिक्षा प्रणाली में पबज्जा संस्कार के बाद छात्र को माता-पिता से दूर गुरु के सानिध्य में रहना पड़ता था। ब्राह्मण शिक्षा में गुरु

का महत्व अत्यधिक था। गुरु को देवतुल्य माना गया है। गुरु सेवा को महत्व दिया गया है। गुरु और शिष्य के संबंध पिता-पुत्र जैसे थे। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में भी गुरु को महत्व देते हुए उन्हें ब्रह्म के समान माना गया है और गुरु सेवा पर बल दिया गया है। वैदिक शिक्षा में शिक्षा प्रारम्भ बाल्यावस्था से ही करने पर बलदिया गया। शिक्षा प्रारम्भ करने की आयु विभिन्न वर्णों के लिए निश्चित थी। ब्राह्मणों के लिए आठ वर्ष, क्षत्रियों के लिए ग्यारह वर्ष तथा वैश्यों के लिए 12 वर्ष निश्चित की गई थी। बौद्ध काल में विद्यालय आरम्भ बाल्यावस्था में होता था। दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षण संस्थाओं की आय का मुख्य स्रोत दान और भिक्षा थी। दोनों शिक्षण प्रणालियों में शारीरिक दण्ड साधारण तथा वर्जित था।

निष्कर्ष : बौद्ध शिक्षण के अंतर्गत शिक्षार्थी के साथ विचार सम्प्रेषण हेतु जनभाषा या लोक भाषा का प्रयोग किया जाता था। आज भी यह अनुभव किया जा रहा है कि शिक्षा में विचार-विनिमय के माध्यम वे भाषाएं हो जिनके द्वारा सम्प्रेषण को अधिकाधिक प्रभावोत्पादक बनाया जा सके। बौद्ध दर्शन की शिक्षाएं सर्वकालिक एवं सर्वदेशिक हैं। तृष्णा चाहे आज के मानव की हो अथवा आज से पहले के, वह सदैव विनाशकारी तथा सकल दुःखों की जननी है। पदार्थों की लिप्सा कभी शांत नहीं हो सकती है। आज भी उपभोक्ता मूलक संस्कृति का त्रासदी का कारण भी यही तृष्णा है। बोधि अथवा ज्ञान के द्वारा व्यक्ति समाज में चहुमुखी विकास कर सकता है। बुद्ध की शिक्षाएं समस्त मानव मात्रा के लिए थी, किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं। इनमें स्त्री-पुरुष, धर्म आदि का कोई भेद स्वीकार्य न था। बुद्ध न तो अंधविश्वासी थे और न ही वे अंध विश्वासों को बढ़ावा देने के पक्ष में थे। अतः उन्होंने इस बात पर बल दिया कि किसी भी विचार का अंधनुकरण न कर उसे तर्क की कसौटी पर कसा जाए और उसके खरा उतरने पर जींदो उसे स्वीकार किया जाए। बुद्ध का यह दर्शन व्यक्ति को प्रगतिशील बनने की प्रेरणा प्रदान करता है।

बौद्ध शिक्षा और ब्राह्मण शिक्षा दोनों ने सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से कार्य किये, इसमें कुछ हद तक सफलता भी प्राप्त हुई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

- [1] कृष्ण कुमार— प्राचीन भारत की शिक्षा पद्धति, श्री सरस्वती सदन, नईदिल्ली, 2008
- [2] ऋग्वेद 3.55. 16.16 11
- [3] अल्तेकर अनंत सदाशिव— प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति, अनुराग प्रकाशन, वाराणसी, 2014
- [4] शंकर विजयवर्गीय— भारतीय शिक्षा का इतिहास
- [5] डॉ० भास्कर मिश्र— वैदिक शिक्षा पद्धति, राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन
- [6] किरीट जोशी— वैदिक साहित्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारतसरकार
- [7] लाल रमण बिहारी — भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, राजप्रिंटर्स, मेरठ
- [8] सराओ, के० टी० एस०, प्राचीन भारतीय बौद्ध धर्म
- [9] पाण्डे गोविन्द चन्द्र — बाह्य के शिक्षा विकास का इतिहास, लखनऊ, 1963
- [10] सिंह, डॉ० अनिल कुमार, बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति, 2008 कला प्रकाशन, बी०एच० यू० वाराणसी
- [11] ए० के वारडर — इंडियन बुद्धिज्म, वाराणसी, 1970
- [12] डॉ० ध्रुव कुमार — बौद्ध धर्म और पर्यावरण
- [13] बाबु गुलाबराय — भारतीय संस्कृति की रूपरेखा, 1953, इलाहाबाद
- [14] शिवदत्त ज्ञानी — भारतीय संस्कृति, 2000, बम्बई